न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 120/2025

कान्ता देवी पत्नी दीपाराम जाति जाट साकिन शास्त्री नगर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बज्जू।

.......अप्रार्थी

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम बिश्नोई उपस्थित

2. राजपेरोकार स्टेट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19.12.2025

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु प्रार्थीया कान्ता देवी पत्नी दीपाराम जाति जाट साकिन शास्त्री नगर तहसील बज्जू जिला बीकानेर द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी द्वारा तहसील बज्जू के चक 3 जीएम पटवार हल्का माणकासर के मुरबा नम्बर 139/35, 139/44, 139/36, 139/42, 139/43 की कुल तादादी 9.6357 हैक्टयर भूमि में से 16/35 हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 10.07.2012 को खरीद की गई जो उप पंजीयक बज्जू के पुस्तक सं. 1 जिल्द संख्या 76 में पृष्ठ संख्या 97 क्रम संख्या 2012001407 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 118 के पृष्ठ संख्या 264 से 272 पर चस्पा किया गया। उक्त बैयनामा के पृष्ठ संख्या 5 के पैरा संख्या में खरीदारा प्रार्थीनी का स्पष्ट रूप से नाम श्रीमति कान्ता देवी पत्नी दीपाराम उम्र 43 वर्ष, जाति जाट, निवासी शास्त्री नगर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर लिखा हुआ है व उक्त बैयनामा के आधार पर प्रार्थीनी का 16/35 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.09.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत माणकासर द्वारा स्वीकृत शुदा है जिसमें क्रम संख्या 11 पर कान्ता देवी पत्नी दीपाराम हिस्सा 16/35 जाति जाट साकिन शास्त्रीनगर, तहसील कोलायत खातेदार दर्ज है। उक्त बैयनामा के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2078 वर्ष 2022 जा एन्ट्री क्रम संख्या पर दर्ज की गई है, उसमें सहबन से कान्ता देवी की जाति ब्राह्मण से दर्ज है इसलिए सहबन से कान्ता देवी की जाति जाट की बजाय ब्राह्मण दर्ज कर दिया गया है जिसे प्रार्थीनी जमाबंदी चक 3 जीएम पटवार हल्का माणकासर तहसील बज्जू में दर्ज ब्राह्मण के स्थान पर जाति जाट दर्ज करवाने की अधिकारिणी है जो जमाबंदी में जाति दुरस्त की जावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 जीएम तहसील बज्जू के मुरबा नम्बर 139/35, 139/36, 139/42, 139/43, 139/44 की संयुक्त खाते की जमाबंदी सम्वत् 2078 सन् के खाता संख्या पुराना 52 नया 7 की क्रम संख्या 4 में प्रार्थीनी की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाति जाट दुरस्त करने का आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर

प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैयनामा, जमाबंदी, नामान्तरण की प्रति आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय पक्ष की बहस समाहित की गई। न्यायहित में लोक भावना को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों तथा रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि चक 3 जीएम तहसील बज्जू के मुरबा नम्बर 139/35, 139/36, 139/42, 139/43, 139/44 की संयुक्त खाते की जमाबंदी सम्वत 2078 सन् के खाता संख्या पुराना 52 नया 7 की क्रम संख्या 4 में प्रार्थीनी की जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राहमण दर्ज हो गयी।

अतः पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णि चक 3 जीएम तहसील बज्जू के मुरबा नम्बर 139/35, 139/36, 139/42, 139/43, 139/44 की संयुक्त खाते की जमाबंदी सम्वत 2078 सन् के खाता संख्या पुराना 52 नया 7 की क्रम संख्या 4 में प्रार्थीनी की जाति ब्राहमण के स्थान पर जाति जाट दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तददानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड में अंकन करे। तहसीलदार भू.अ. बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर